न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5812/2003/अजमेर

1— राधाकिशन

2— गोपाल

3— मदनलाल

समस्त पुत्रान मांगीलाल, जाति भील, निवासी उगानखेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

—अपीलांटस

बनाम

1— बरदा पुत्र उद्दा मृतक जरिए वारिसानः—

1/1— बरजी बेवा बरदा

1/2— रामचन्द्र पुत्र बरदा मृतक जरिए वारिसानः—

1/2/1— प्रेम पत्नी रामचन्द्र

1/2/2— समता पुत्री रामचन्द्र

1/3— जगदीश पुत्र बरदा

1/4— हंगामी पुत्री बरदा

1/5— सोहनी पुत्री बरदा

1/6— प्रेम पुत्री बरदा

समस्त जाति बैरवा निवासी उगानखेड़ा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांटस

अधिवक्ता रेस्पो0 व रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5812/2003/अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 28.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 96/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.11.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष वाकै ग्राम उगानखेड़ा तहसील केकड़ी की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 43 रकबा 4—16—00 बीघा हेतु पेश कर कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की भूमि है तथा प्रतिवादीगण ने जबरन इस आराजी पर कब्जा कर रखा है, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वाद में उठाए गए कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 3 तनकीयात कायम की । उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 03.01.2001 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.2002 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर अपने निर्णय दिनांक 29.07.2003 द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री फरमा दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.11.2003 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । वादी बरदा स्वयं अपने बयानात में यह कथन कर रहा है कि जमीन भीलों के कब्जे में है, मुझे काश्त नहीं करने देते है। प्रतिवादीगण मेरी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं एवं यह भी स्वीकार कर रहा है कि प्रतिवादी 2—3 वर्षों से काश्त कर रहे हैं। उक्त जमीन पहले मैंने मुसलमान के पास रहन रखी थी जो काश्त करता था और मुसलमान ने 7000 रूपये में प्रतिवादीगण को बेचकर कब्जा दे दिया। जिससे सिद्ध है कि विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा 1969 के बाद वाद प्रस्तुती के दिन तक कभी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता किन्तु दोनों अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण का कब्जा मानते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। वादी के वाद एवं वादी के बयानात से यह बखूबी साबित है कि वादी ने प्रतिवादीगण को बेदखल करने अथवा कब्जा प्राप्त करने के लिए ना तो वाद पत्र में कोई अंकन किया है, ना ही इस बाबत् कोई दादरसी ही मांगी है और स्वयं स्वीकृति के अनुसार वाद प्रस्तुती के दिन भी वादी का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं था। ऐसी स्थिति में दिनांक 04.10.98 को वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता है। अतः वाद कारण के अभाव में वाद प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य था। विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 इस प्रकार मुर्तिब की गई थी कि विवादित भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त तनकी के निर्णय में विचारण न्यायालय ने अपने स्वयं के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2003 में यह अंकन किया है कि प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के अलावा वादी स्वयं भी इस बात को स्वीकार करता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के ही कब्जे/स्वामित्व में है। जिससे सिद्ध है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसके बावजूद दिनांक 29.07.03 को पारित निर्णय में प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध मानते हुए धारा 188 के साथ—साथ 183 के तहत बेदखली का आदेश पारित करते हुए तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में पारित कर दिया गया, जबकि उक्त तनकी में मात्र यह देखना था कि वादी काबिज काश्त है अथवा नहीं । इस प्रकार मुर्तिब तनकी से बाहर जाकर आदेश अंतर्गत अपील बेदखली की आज्ञप्ति भी पारित कर दी गई, जबकि बेदखली बाबत् ना तो दावा प्रस्तुत किया गया था ना ही वाद कारण बताया गया था क्योंकि बेदखली के

वाद की मियाद मात्र 12 वर्ष निर्धारित की गई है ना ही बेदखली बाबत् कोई तनकी ही मुर्तिब की गई। ऐसी स्थिति में दोनों अधी0न्याया0 किसी भी आधार पर बेदखली बाबत् कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे। तनकी संख्या 2 का निर्णय भी दोनों अधी0न्याया0 द्वारा गलत पारित किया गया है, क्योंकि विवादित आराजीयात पर सन् 1969 से वाद प्रस्तुती के दिन तक वादी ने स्वयं वादी का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं होकर प्रतिवादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मात्र काबिज काश्त खातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाद प्रस्तुती के दिन ना तो वादी काबिज था ना ही उसके द्वारा कोई फसल काश्त की गई थी ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बोई फसल काश्त की गई थी, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बोई फसल नष्ट की गई थी। ऐसी स्थिति में वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त तनकी रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं वादी के स्वयं के बयानात से स्वयं सिद्ध होने के बावजूद दोनों अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण के कब्जे को अवैध मानते हुए वादी को अपूर्ण एवं गैरकानूनी आधारों पर एक प्रकार से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी तथा वादी को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिए गए, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.11.2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2003 को निरस्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 1997 आरबीजे पेज 149, 1999 (3) एससी आरएलडब्ल्यू पेज 394, 2006 (2) एचसी डब्ल्यूएलसी पेज 740, 1995 एआईआर कनार्टक पेज 213, आरबीजे 2023 एससी पेज 535 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया।

5— हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 43 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार बरदा वल्द उदा चमार है । खसरा गिरदावरियों में भी उदा चमार का नाम दर्ज है । लेकिन कुछ रकबे पर बशीर पुत्र अलाद्दीन मुसलमान की भी काश्त दर्ज है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2034 से होती है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2051 से 2054 में भी बरदा पुत्र उदा चमार की काश्त दर्ज है । उक्त खसरा गिरदावरियों से विवादित आराजी पर वादी/रेस्पो0 के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 जाति से चमार होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा तथा प्रतिवादी/अपीलांट जाति भील होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है । हम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि बशीर ने संभवतः इकरारनामे से विवादित भूमि क्रय की तत्पश्चात् उससे अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपीलांट ने इकरानामे से क्रय की है । चूंकि विवादित भूमि का खातेदार वादी/रेस्पो0 अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसकी भूमि बशीर जो कि गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है, विधिनुसार क्रय नहीं कर सकता है । यदि ऐसे विधिविरूद्ध हस्तातंरण के आधार पर अपीलांट/प्रतिवादी को विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त भी हो गया है तो वह विधिविरूद्ध होकर बेदखल किये जाने योग्य है । अपीलांट विवादित भूमि एक्जी.डी.1 इकरारनामा के आधार पर क्रय करना बताता है उसमें विवादित भूमि के विक्रय की राशि 7000/—रू0 अंकित की हुई है । संपति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार 100/—रू0 से अधिक की सम्पति के बैचान का पंजीयन होना आवश्यक है । अतः उक्त अपंजीकृत इकरारनामा/बैचान को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त अपीलांट के विक्रेता बशीर द्वारा खातेदार वादी से भूमि क्रय करना बताया गया है किन्तु इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है, जो यह प्रकट करता है कि भूमि का बैचान विधिवत् रूप से अपीलांट के पक्ष में नहीं हुआ है और ना ही अपीलांट को विक्रय करने वाले के पक्ष में प्रमाणित होता है । ऐसी स्थिति में तथाकथित विक्रय के आधार पर कोई भी हक अधिकार अपीलांट के हक में सृजित नहीं होते है । जहां तक प्रश्न कब्जे का है विपरीत कब्जा खातेदारी का आधार नहीं हो सकता है । अपीलांट का यह कथन कि वादी द्वारा बेदखली का अनुतोष नहीं चाहा गया था इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने बेदखली का अनुतोष प्रदान किया है जो विधिविरूद्ध है । इस

संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि राज0काश्त0अधि0, 1955 की धारा 209 में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि न्यायालय स्वतः ही अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई भी अनुतोष जो उचित समझे दे सकता है । इस संबंध में धारा 209 राज0काश्त0अधि0 में यह प्रावधान प्रावधित किया हुआ है कि—**''किसी भी वाद या कार्यवाही में न्यायालय वादी के आवेदन पर और आवश्यक तनकीयात विरचित करने के पश्चात् ऐसा कोई अनुतोष अनुदत्त कर सकता है जिसे अनुदान करने में न्यायालय सक्षम है और जिसका वादी हकदार प्रतीत होता है जिसे अनुदान करने में न्यायालय सक्षम है और जिसका वादी हकदार प्रतीत होता है चाहे ऐसा अनुतोष वादपत्र अथवा आवेदन में मांगाया गया हो अथवा नहीं ?** '' इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर अपीलांट/प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल करने का निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटस/प्रतिवादी की अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2003 को यथावत् रखा है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है ।

9— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.11.2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2003 यथावत् रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष